# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 110/2024 — निर्णय दिनांकः 22.01.2025
ऑनलाईन नम्बर 2024/235

जेठमल पुत्र उमाराम जाति ब्राहम्ण निवासी दुलचासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

—प्रार्थी —

**बनाम**

1. बैदा देवी पत्नी घनश्याम जाति बिश्नोई निवासी बुढ़ाखेड़ा तहसील व जिला हिसार (हरियाणा)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
3. शाखा प्रबंधक, एसबीबीजे हाल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा दुलचासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—अप्रार्थीगण—

**उपस्थितिः—**

1. श्री कैलाश चन्द्र सारस्वत अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री नारायण पंवार अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 की ओर से।
3. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

**<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की तरफ से प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा निम्नलिखित आधारों पर सादर पेश हैं कि प्रार्थी ने उपरोक्त अनुवान का दावा मान्य न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया हैं जिसमें प्रार्थी को सफलता मिलने की पूर्ण सम्भावना है प्रार्थी गांव दुलचासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ का मुल निवासी है तथा प्रार्थी एवं प्रार्थी के भाईयों की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 150 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 151 रकबो 7.88 हैक्टेयर रोही ग्राम दुलचासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित थे जो कि मौके पर एकल ही कब्जा काश्त में चला आ रहा हैं और बीच में हिस्सा पांति का कोई सीमांकन नही था। प्रार्थी के भाईयों ने अपने हिस्सा की कृषि भूमि मय कृषि कुआं अप्रार्थी संख्या 1 को विक्रय कर दी जिससे वादगत खेत के नये खसरा नम्बर 524/151 रकबा 2.11 हेक्टेयर प्रार्थी के नाम व खसरा नम्बर 523/151 रकबा 5.77 हैक्टेयर अप्रार्थी संख्या 1 के नाम कायम किये गये परन्तु वादगत खसरान की भूमि मौका पर आज भी एकल चली आ रही हैं एवं खसरा नम्बर 150 पर बने कृषि कुआं से सिंचित किये जाते रहें हैं जो कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा ही काश्त किये जा रहे हैं। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से कई बार कहा कि अपने खेतों को मपवाकर सीमां कायम कर लेते हैं लेकिन हर बार अप्रार्थी संख्या 1 टालमटोल करती रही एवं कहती रही कि आपकी भूमि मेरे द्वारा ही काश्त कि जानी हैं इसलिए बाद में सीमांकन करवा लेगें। दिनांक 10.06.2024 को दो अजनबी व्यक्ति प्रार्थी के घर पर आये और प्रार्थी से कहा कि हमने आपका खे[illegible] खरीद कर ली हैं आपके हिस्सा की भूमि भी हमें बिक्री कर दो, तब प्रार्थी [illegible] संख्या 1 से फोन पर सम्पर्क कर सीमांकन से पहले खेत बिक्री [illegible] संख्या 1 ने कहा कि मैं

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.01.27 14:24:00 IST
Reason: SelfAttested

3
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

न्यायालय उपखण्ड ... श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

कोई सीमांकन नही करवाउंगी एवं स्पष्ट धमकी देते हुए कहा कि मैनें खेत बिक्री का सौदा तय कर लिया हैं एवं जल्दी ही बेचान करवाकर पूरी जमीन का कब्जा खरीददार को सौंप दूंगी। वादगत खेत प्रार्थी का खातेदारी अधिकारों का खेत होने से प्रार्थी को वादाधार व अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा दी गयी उक्त धमकी से वादहेतू प्राप्त हैं। जैसा कि अप्रार्थी संख्या 1 ने वादगत खेत की सम्पूर्ण भूमि को बिना सीमांकन बिक्री कर कब्जा खरीददार को सुपूर्द करने की धमकियां दी है। अगर अप्रार्थी संख्या 1 ऐसा करने में कामयाब हो गयी तो प्रार्थी अपने हक हिस्सा की भूमि से वंचित हो जायेगा और प्रार्थी को अहम नुकसान होगा, इसलिए अप्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना आवश्यक हो गया हैं कि वह वादगत खेत खसरान का चना विधिवत सीमांकन करवाये रहन, बैय अन्यत्र हस्तान्तरण की कार्यवाही नही करे जिससे प्रार्थी के वैध अधिकारों का हनन होता हो । प्रार्थी के पास उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नही रहा है। वादगत खेत प्रार्थी का खातेदारी अधिकारों का खेत होने से प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या मामला बनता हैं। अप्रार्थी संख्या 1 ने वादगत खेत की सम्पूर्ण भूमि को बिना सीमांकन बिक्री कर कब्जा खरीददार को सुपूर्द करने की धमकियां दी है, अगर अप्रार्थी संख्या 1 ऐसा करने में कामयाब हो गयी तो प्रार्थी अपने हक हिस्सा की भूमि से वंचित हो जायेगा और प्रार्थी को अहम नुकसान होगा, और भारी असुविधा होगी इस प्रकार सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थी के पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि वह वादगत खेत खसरा नम्बर 524/151 रकबा 2.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 523/151 रकबा 5.77 हैक्टेयर वाके रोही दुलचासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर की कृषि भूमि जो मौका पर एकल हैं एवं वादगत खसरान के मध्य कोई सीमांकन नही हैं को बिना विधिवत सीमांकन के रहन, बैय, हस्तान्तरण नही करें, ऐसा कोई कृत्य अथवा अपकृत्य नही करे ना ही किसी दीगर शख्स से करावे जिससे प्रार्थी के वैध अधिकारों का हनन होता हो, अप्रार्थी संख्या 2 को पाबन्द किया जावें कि वह वादगत कृषि भूमि के मौके व रिकार्ड की तादावा फैसला यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता ने बहस का निवेदन किया गया। बहस उभयपक्षकरान सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया जाकर तादावा फैसला यथास्थिति बनायें रखें जाने का निवेदन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस के समर्थन में मान[illegible]कल अजमेंर राजस्थान के न्याायिक दृष्ट्रान्त आरआरडी–14.09.2015 पृष्ठ संख[illegible]496 [illegible] 505 पेश की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.01.27 14:24:00 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी संख्या 01 ने अपनी ब[illegible] गया कि प्रार्थी व अप्रार्थिनी संख्या 1 के खेत मौके पर अलग–अलग है। अप्रार्थिनी संख्या 1 के खेत खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

523/151 तादादी 5.77 हैक्टेयर रोही दूलचासर तहसील श्रीडूंगरगढ के पूर्वी तरफ प्रार्थी का खेत खसरा 524/151 स्थित है। प्रार्थी व अप्रार्थिनी संख्या 1 के खेत के बीच मौके पर पट्टी व खींप लगाकर पुरानी सींव बनी हुई है। जो काफी पुरानी है जिसके अनुसार ही प्रार्थी व अप्रार्थिनी संख्या 1 का मौके पर अपने–अपने खेतो में कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी व अप्रार्थिनी संख्या 1 के खेत के खसरा नम्बर भी अलग–अलग है। प्रार्थी व अप्रार्थिनी संख्या 1 के खेत के बीच पुरानी सींव पहले से बनी हुई है, इसलिये प्रार्थी द्वारा अप्रार्थिनी संख्या 1 को खेतो का सींमा कायम करने का कहने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। प्रार्थी व अप्रार्थिनी संख्या 1 के खेत मौके पर अलग–अलग है व उनके बीच पुरानी सींव बनी हुई है। उनके खेतो के खसरा नम्बर भी अलग–अलग है। इसलिये प्रार्थी को अप्रार्थिनी संख्या 1 द्वारा सीमांकन नही करवाने का कहने व धमकी देने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। प्रार्थी का अप्रार्थिनी संख्या 1 के खेत पर कब्जा काश्त नही है व ना ही अप्रार्थिनी संख्या 1 द्वारा प्रार्थी को कभी किसी प्रकार की कोई धमकी दी गई है। इसलिये प्रार्थी को वादगत खेत के सम्बन्ध में ना तो वादहेतु प्राप्त है व ना ही वादाधिकार प्राप्त है। प्रार्थी को अप्रार्थिनी संख्या 1 के खातेदारी खेत के सम्बन्ध में अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार नही है। प्रार्थी के खातेदारी खेत का अप्रार्थिनी संख्या 1 का ना तो खातेदार है व ना ही अप्रार्थिनी संख्या 1 द्वारा प्रार्थी को कभी कोई धमकी दी गई है। इसलिये प्रार्थी के पक्ष में ना तो प्रथम दृष्टया मामला बनता है व ना ही सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है, ना ही अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में है। अप्रार्थिनी संख्या 1 के खेत खसरा नम्बर 523/151 तादादी 5.77 हैक्टेयर रोही दूलचासर तहसील श्रीडूंगरगढ के पूर्वी तरफ प्रार्थी का खेत खसरा 524/151 स्थित है। प्रार्थी व अप्रार्थिनी संख्या 1 के खेत के बीच मौके पर पट्टी व खींप लगाकर पुरानी सींव बनी हुई है। जो काफी पुरानी है जिसके अनुसार ही प्रार्थी व अप्रार्थिनी संख्या 1 का मौके पर अपने–अपने खेतो में कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी व अप्रार्थिनी संख्या 1 के खेत के खसरा नम्बर भी अलग–अलग है। इसलिये प्रार्थी को मुझ अप्रार्थिनी संख्या 1 के खातेदारी खेत के सम्बन्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थनादृपत्र अस्थाई निषेधाज्ञा चलने योग्य नही है, खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी व अप्रार्थिनी संख्या 1 के खेत मौके पर अलग–अलग है व उनके बीच पुरानी सींव बनी हुई है। उनके खेतो के खसरा नम्बर भी अलग–अलग है। इसलिये प्रार्थी को अप्रार्थिनी संख्या 1 द्वारा सीमांकन नही करवाने का कहने व धमकी देने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। प्रार्थी का अप्रार्थिनी संख्या 1 के खेत पर कब्जा काश्त नही है व ना ही अप्रार्थिनी संख्या 1 द्वारा प्रार्थी को कभी किसी प्रकार की कोई धमकी दी गई है। इसलिये प्रार्थी को वादगत खेत के सम्बन्ध में ना तो वादहेतु प्राप्त है व ना ही वादाधिकार प्राप्त है। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र चलने योग्य नही है, खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी का वादगत खेत अप्रार्थिनी संख्या 1 का ना तो खातेदार है व ना ही अप्रार्थिनी संख्या 1 द्वारा प्रार्थी को कभी कोई धमकी दी गई है। इसलिये प्रार्थी के पक्ष में ना तो प्रथम दृष्टया मामला है व ना सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है, ना ही अपूरणीय क्षति के पक्ष में है। इसलिये प्रार्थी का

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.01.27 14:24:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

प्रार्थना–पत्र चलने योग्य नही है, खारिज किये जाने योग्य है एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद में पक्षकारान के मध्य सीमाकंन को लेकर विवाद है जिसका निस्तारण वाद में समुचित सुनवाई, साक्ष्य के उपरान्त ही किया जाना उचित प्रतीत होता है। जिससे वाद बाहुलता ना बढे। प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में साबित है। लिहाजा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। उभयपक्षकारान तादावा फैसला मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखें।

आदेश आज दिनांक 22.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.01.27 14:24:00 IST
Reason: SelfAttested